1314009-1/18-4-13

सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

परिपत्र संख्या-फार्म-अनु0(विविध)फार्म-38 डाउनलोड 2013-14// 250 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ// दिनांक// 18 अप्रैल//2013

//आदेश //

मुख्यालय के पत्र संख्या-फार्म-38 वैकल्पिक व्यवस्था /09-10 / 322, दि0 23-02-2010 एवं 2010-11 / 238, दि0 30-11-2010 के अन्तर्गत जोन स्तर पर नामित एडमिनिस्ट्रेटर (विभागीय अधिकारी) के द्वारा कम्प्यूटर से आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) डाउनलोड करके मुद्रित फार्मो की तरह वितरित किये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था शासन के पत्र संख्या-क0नि0-4-2885/11-4-2009, दि0 30-12-2009 के क्रम में नामित एडमिनिस्ट्रेटर के डिजटल सिग्नेचर पेन ड्राइव में प्रेषित करते हुए निर्देशों सहित यह आदेश जारी किये गये थे कि वैकल्पिक व्यवस्था दिनांक 28-02-2010 तक प्रभावी रहेगी। आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) की कमी होने पर वैकल्पिक व्यवस्था को पुन: क्रियान्वित किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1- फार्म-38 समाप्त होने सम्बन्धी सूचना ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0)सम्भाग-बी, गौतमबुद्धनगर, नोएडा (नोडल अधिकारी) से फोन पर वार्ता के क्रम में फार्म-38 डाउनलोड किया जाना राजस्व के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रतीत होता है।

2- पूर्व में फार्म-38 डाउनलोड व्यवस्था इस कार्यालय के आदेश संख्या-238, दि0 30-11-2010 से प्रचलित थी, जो कि बाद में मुद्रित हुए फार्म-38 के एक्सटेंड होने पर डाउनलोड व्यवस्था स्वत: स्थगित हो गयी। पुन: फार्म-38 की कमी के कारण राजस्व हित में उक्त वैकल्पिक व्यवस्था शासन से प्राप्त पूर्व अनुमति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से पूर्व की भाँति लागू किया जाता है।

3- पूर्व में प्रत्येक जोन में डिजटल सिग्नेचर से नामित अधिकारी फार्म डाउनलोड करता था, लेकिन पूर्व में नोडल अधिकारियों को आवंटित डिजटल सिग्नेचर निष्प्रभावी हो चुके हैं। अतएव नोडल अधिकारियों द्वारा डिजटल सिग्नेचर के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित फार्म-सी डाउनलोड के लिये One Time Password (O.T.P) व्यवस्था के अनुसार उक्त फार्म-38 भी डाउनलोड कराये जायेंगे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराये जायेंगे। तत्पश्चात उक्त अधिकारियों द्वारा अपने विभागीय User ID एवं Login Password के माध्यम से फार्म-38 डाउनलोडिंग हेतु विकल्प देने पर S.M.S के माध्यम से उक्त अधिकारियों के उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर One Time Password (O.T.P) प्राप्त हो जायेगा, जिसका प्रयोग करके सम्बन्धित अधिकारी फार्म-38 डाउनलोड कर सकेंगे। उक्त O.T.P दोबारा प्रयोग नहीं किया जायेगा, और आगे डाउनलोडिंग के लिये उपर्युक्तानुसार नया O.T.P प्राप्त करके फार्म-38 डाउनलोड किये जायेंगे।

4- प्रत्येक जोन में एक अधिकारी डाउनलोड फार्म पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाना अपेक्षित है, जो कि जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा नामित किया जायेगा, जिसके हस्ताक्षर बाद में मुख्यालय से विज्ञापित करके पूरे प्रदेश में अवगत करा दिया जायेगा। उक्त स्थिति में समस्त तथ्यों को देखते हुए वर्तमान में पुन: नेट के माध्यम से फार्म-38 की व्यवस्था को लागू किया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासन से अनुमति पत्र संख्या-क0नि0-4-2885 / 11-4-2009, दि0 30-12-2009 से प्राप्त हो चुकी है। मुख्यालय के पत्र संख्या-

फार्म-38-वैकल्पिक व्यवस्था-09-10 / 322, दिनांक 23-02-2010 एवं 2010-11 / 238, वाणिज्य कर दिनांक 30-11-2010 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वैकल्पिक व्यवस्था का क्रियान्वित किये जाने हेतु निर्देशों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

3- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फार्म-38 डाउनलोड करने की वैकल्पिक व्यवस्था को समुचित सावधानी एवं तकनीकी सुरक्षा के साथ पूर्व की भाँति NIC द्वारा क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।